

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2004

क्र. 2489-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का स 36) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जबलपुर में राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना करती है, जिसे राज्य पारेषण इकाई (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी) द्वारा संचालित किया जाएगा. जबलपुर में कार्यरत वर्तमान विद्युत भार प्रेषण केन्द्र इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रयोजन के तहत राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र होगा और उक्त अधिनियम के तहत गणित माना जाएगा

No. 2489-XIII-2004.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) the State Government hereby establishes State Load Despatch Centre (SLDC) at Jabalpur, which shall be operated by the State Transmission Utility (STU). The existing Load Despatch Centre Functioning at Jabalpur shall be the SLDC for the purposes of Electricity Act, 2003 and shall be deemed to have been constituted under this Act.